रजिस्टर्ड नं० एल० 33-एस० एम० 13-14/98.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बधवार, 24 जून, 1998/3 आषाढ़, 1920

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि-विभाग

विधायी एवं राजभाषा खण्ड

अधिसूचना

शिमला-2, 24 जून, 1998

संख्या एल० एल० आर० (राजभाषा) बी (16) 16/98.--"दि इंडियन स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश अमैन्डमैन्ट) ऐक्ट, 1992 (1992 का 9)" के राजभाषा (हिन्दी) अनुवाद को हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल

के तारीख 11 जून, 1998 के प्राधिकार के अधीन एतद्द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है और यह हिमाचल प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, 1981 (1981 का 12) की धारा 3 के अधीन उक्त अधिनियम का राजभाषा (हिन्दी) में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा ।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-
सचिव (विधि) ।

भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1992

(1992 का 9)

(हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा 2 मई, 1992 को यथा अनुमत)

हिमाचल प्रदेश राज्य में यथा लागू भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) का और संशोधन करने के लिए **अधिनियम** ।

भारत गणराज्य के तैंतालीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1992 है ।

अनुसूची 1-क का संशोधन ।

2. हिमाचल प्रदेश राज्य में यथा लागू भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) से उपाबद्ध अनुसूची 1-क में, अनुच्छेद 45 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"45. विभाजन की लिखत [धारा 2(15) द्वारा यथा-परिभाषित]	वही शुल्क जो ऐसी सम्पत्ति के पृथक किए गए अंश या अंशों के मूल्य की रकम के बन्धपत्र (सं0 15) पर लगता है।

विशेष टिप्पण.—सम्पत्ति विभाजित किए जाने के पश्चात्, शेष रहे सबसे बड़े अंश को (या यदि दो या अधिक समान मूल्य के अंश हैं जो अन्य अंशों में से किसी भी अंश से छोटे नहीं हैं, तो ऐसे समान अंशों में से एक अंश को) ऐसा अंश समझा जाएगा जिससे अन्य अंश पृथक कर दिए गए हैं:

परन्तु सदैव यह कि—

(क) जब कि विभाजन की कोई ऐसी लिखत निष्पादित की गई है जिसमें सम्पत्ति को पृथक-पृथक विभक्त करने का करार है और ऐसे करार के अनुसरण में विभाजन कर दिया गया है, तब ऐसा विभाजन प्रभावी करने वाली लिखत पर प्रभार्य शुल्क में से प्रथम लिखत की बाबत चुकाए गए शुल्क की रकम कम कर दी जाएगी, किन्तु वह पांच रुपये से कम नहीं होगा ;

(ख) जहां कि भूमि, राजस्व बन्दोबस्त पर ऐसी कालावधि के लिए—

(i) जो चालीस वर्ष से अधिक, नहीं है, धारित है, और पूरी निर्धारित राशि दी जा रही है, वहां स्टाम्प शुल्क के प्रयोजन के लिए मूल्य उसके वार्षिक राजस्व के दस गुना से अधिक परिकलित नहीं किया जाएगा; और

(ii) जो चालीस वर्ष से अधिक है, धारित है, और पूरी निर्धारित राशि दी जा रही है, वहां स्टाम्प शुल्क के प्रयोजन के लिए मूल्य उसके वार्षिक राजस्व के बीस गुना से अधिक परिकलित नहीं किया जाएगा; और

(ग) जहां कि किसी राजस्व प्राधिकारी या किसी सिविल न्यायालय द्वारा विभाजन का पारित अन्तिम आदेश, या विभाजन करने का निदेश देते हुए मध्यस्थ द्वारा दिया गया पंचाट, विभाजन की किसी लिखत के लिए अपेक्षित स्टाम्प से स्टाम्पित किया गया है, और ऐसे आदेश या पंचाट के अनुसरण में विभाजन की लिखत तत्पश्चात् निष्पादित की गई है, वहां ऐसी लिखत पर शुल्क पांच रुपए से अधिक नहीं होगा।"।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।